भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या - 5165**

(जिसका उत्तर शुक्रवार, 24 अप्रैल, 2015/4 वैशाख, 1937 (शक) को दिया गया)

**<u>निवेशकों की शिकायतें</u>**

**5165. श्री चन्द्रकांत खैरे :**

**श्री प्रतापराव जाधव :**

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निवेशकों की शिकायतों के निपटान के लिए सरकार द्वारा विचाराधीन सभी मामलों पर कार्रवाई की जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और निवेशकों की शिकायतों का समाधान किस प्रकार किया जाता है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कार्रवाई में विलंब के कारण दोषी कंपनियों के अवैध क्रियाकलापों को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है तथा सरकार द्वारा बनाए गए कानून का समुचित ढंग से पालन नहीं किया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक कितनी कंपनियों के विरूद्ध कार्रवाई करनी शुरू की गई है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

**उत्तर**

**कारपोरेट कार्य मंत्री** **(श्री अरुण जेटली)**

**(क) और (ख) :** मंत्रालय और इसके क्षेत्रीय कार्यालयों में प्राप्त होने वाली निवेशक शिकायतें निवारक कार्रवाई हेतु संबंधित कंपनियों को अग्रेषित की जाती हैं। यदि कंपनी शिकायतकर्ता की शिकायत का समाधान करने में असफल रहती है और/या कंपनी अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करती हुई पाई जाती है तो कंपनी अधिनियम, 2013/1956 के उपबंधों के अधीन उपयुक्त कार्रवाई प्रारंभ की जाती है। इसके अतिरिक्त, कंपनी रजिस्ट्रार के कार्यालयों में समय-समय पर आयोजित 'निवेशक शिकायत समाधान फोरम' की बैठकों में शिकायतकर्ता और कंपनियों के प्रतिनिधि मिलते हैं और निवेशक शिकायतों के समाधान पर विचार-विमर्श करते हैं।

**(ग) और (घ) :** कंपनियों के कथित अवैध कार्यकलापों के संबंध में सूचना प्राप्त होने पर जांच और निरीक्षण किए जाते हैं। वित्त वर्ष 2014-15 में 5800 से अधिक अभियोजन दायर किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय द्वारा इसी अवधि में विभिन्न न्यायालयों/प्राधिकरणों में 86 अभियोजन शिकायतें दायर की गईं।

*****